राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक–एफ.1(17)III/सी/निर्वा/2024/475 दिनांक– 27.01.25

कार्यालय आदेश

इस विभाग द्वारा फोटो स्टेट एवं स्पाईरल बाईडिंग कार्य हेतु दिनांक 10.07.2024 को जारी निविदा संख्या 7775 जारी की गई थी। उक्त निविदा के क्रम में प्राप्त निविदादाताओं के परीक्षण उपरान्त निविदादाता फर्म मै0 मुकुल एन्टरप्राईजेज, अजमेर रोड़, जयपुर को सफल घोषित करते हुए इस विभाग के आदेश क्रमांक 8329 दिनांक 12.08.2024 द्वारा दर अनुमोदन किया जाकर फर्म के साथ अनुबंध संपादित किया गया। विभाग एवं फर्म के मध्य संपादित अनुबंध के अनुकरण में फर्म द्वारा विभाग में फोटो स्टेट मशीन मय ऑपरेटर स्थापित एवं संचालित की गई। फर्म द्वारा सम्बंधित अनुभागो से प्राप्त होने वाली Requisition slips को संकलित कर इकजायी स्टोर शाखा में प्रस्तुत किया जाता रहा, जिसके आधार पर फर्म को माह अक्टूबर, 2024 तक नियमित भुगतान किया जाता रहा। फर्म द्वारा माह नवम्बर, 2024 में भी उनके द्वारा संकलित की गयी Requisition slips का गोश्वरा दिनांक 19.12.2024 को स्टोर शाखा में भुगतान के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत उक्त Requisition slips के गोश्वरा के अवलोकन किये जाने पर, उक्त Requisition slips में प्रथम दृष्ट्या कूटरचना एवं हेराफेरी की जानी प्रतीत हुयी, जिसके कारण इस विभाग की समस्त शाखाओं में उनके द्वारा जारी की गई Requisition slips का पुनः परीक्षण एवं सत्यापन करवाया गया। सम्बंधित शाखाओं द्वारा अपनी Requisition slips के अवलोकन उपरान्त एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त यह बताया गया कि कई Requisition slips में अंकित की गई मात्रा उचित नहीं है एवं उनमें कपटपूर्वक वृद्धि की गई है। उक्त परीक्षण उपरान्त फर्म द्वारा अंकित मात्रा 41842 फोटो कॉपी के स्थान पर विभागीय शाखाओं द्वारा सत्यापित मात्रा केवल 15245 प्राप्त हुयी, इस प्रकार फर्म द्वारा अंकित मात्रा एवं वास्तविक संपादित कार्य की मात्रा में 26597 प्रतियों का अन्तर पाया गया। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या रिकार्ड में जानबूझकर कूटरचना तथा धोखाधड़ी का प्रतीत होने के आधार पर विधि शाखा से राय ली जाकर विभागीय उपापन समिति की बैठक दिनांक 09.01.2025 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने फर्म के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने, कार्यादेश/अनुबंध का निष्पादन स्थगित करने, भुगतान लम्बित रखने के निर्णय के साथ–साथ फर्म को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी करने की संस्तुतियॉ प्रस्तुत की थी।

समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के क्रम में समसंख्यक पत्रांक 220 दिनांक 15.01.2025 द्वारा नोटिस जारी कर फर्म को अपना पक्ष नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रेषित जवाब दिनांक 17.01.2025 का परीक्षण विभागीय उपापन समिति के द्वारा बैठक दिनांक 20.01.2025 में किया गया। फर्म द्वारा अपना जवाब इस आधार पर अवलम्बित किया गया कि फर्म के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं आयी है एवं निविदा की शर्तों के अनुरूप कार्य किया गया है। Requisition slips विभाग के सम्बंधित अधिकारियों से Verify करवानें के पश्चात् स्टोर शाखा में जमा करवायी जाती है। उक्त दस्तावेज विभाग में ही रहते है, इसलिए उसमें कूटरचना करनें का आरोप निराधार है।

P.T.O

फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन समिति द्वारा किये जाने पर जवाब को भाम्रक एवं तथ्यों के विपरित एवं असंतोषप्रद पाया गया। Requisition slips सम्बंधित अधिकारियों से Verify किये जाने के उपरान्त ऑपरेटर द्वारा अपने कब्जे में रखा जाता था, जिसे इकजायी कर उसके द्वारा ही स्टोर शाखा में जमा करवाया जाता था। ऐसे में अवसर का लाभ उठाते हुए फर्म द्वारा ही इन Requisition slips में कूटरचना कारित की गई, जिसका प्रत्यक्ष लाभ भी फर्म को ही प्राप्त होना था। उक्त के क्रम में फर्म मै0 मुकुल एन्टरप्राईजेज, जयपुर के साथ वर्तमान दर अनबंध को विभागीय आदेश संख्या 464/24.01.25 जारी कर तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निविदा की शर्तो एवं नियमों के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार फर्म द्वारा उक्त अनुबन्ध के पेटे विभाग मे जमा करायी गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि रूपये 25000 को भी जब्त (Forfeit) करनें के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अतः बिड प्रपत्र, विभाग एवं फर्म के मध्य संपादित अनुबंध, RTPP Act, 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अतिलघंन एवं विपरीत कार्य करने का दोषी पाया जाने पर RTPP Act, 2012 की धारा 46 के तहत फर्म मै0 मुकुल एन्टरप्राईजेज, अजमेर रोड़ जयपुर को आगामी विभागीय बोलियों में भाग लेने हेतु 3 वर्ष के लिए एतदद्वारा विवर्जित किया जाता है।

(सुरेश चन्द्र)
कार्यालयाध्यक्ष एवं
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ.1(17)III/सी/निर्वा/2024/475 दिनांकः– 27.1.25

प्रतिलिपि :–1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राज0 जयपुर।
3. फर्म मै0 मुकुल एन्टरप्राईजेज, 100ए गोकुल वाटिका, श्याम विहार कॉलोनी, अजमेर रोड, हीरापुरा, जयपुर (302021) को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा विभाग के साथ संपादित दर संविदा अनुबंध के तहत अधिक/जानबूझकर राजकोष से षडयंत्र पूर्वक प्राप्त की गई है, जिसे विभाग द्वारा मांग किये जाने पर राजकोष में जमा कराये जाने हेतु आप उत्तरदायी होगें।
4. नोटिस बोर्ड
5. आई.टी.शाखा, निर्वाचन विभाग को वेबसाईट एवं SPPP पर अपलोड़ करने हेतु।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर